रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, सोमवार दिसम्बर 28, 1970/पौष 7, 1892
No. 460] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1970/PAUSA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 4096.—The following draft of certain rules further to amend the Insurance Rules, 1939, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), is published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 27*th February*, 1971.

2. Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect to the draft on or before the date specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Insurance (Amendment) Rules, 1970.

2. After rule 17FA of the Insurance Rules, 1939 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be inserted namely:—

"17FB. *Calculation of proper share of managerial expenses.*—For the purposes of sub-clause (iii) of clause (b) of the Explanation to section 40C of the Act, the proper share of managerial expenses, that may be excluded in computing the expenses of management in India, shall be computed in the following manner, namely:—

(a) in the case of an insurer having his principal place of business in India, the same proportion of the total remuneration received by the Chief Executive Officer of the insurer (by whatever name called) as 15 per cent of the paid-up capital of the insurer bears to the total gross premium written direct in India by the insurer;

(b) in the case of an insurer having his principal place of business outside India, nil.".

3. In rule 41 of the said rules, in the opening paragraph of sub-rule (1), for the figures "54", the figures and letter "54-B" shall be substituted.

4. After rule 51 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"51A. *Regions of the Regional Committees.*—For the purposes of sub-section (1) of section 64 UJ of the Act, there shall be four regions, one each for Bombay, Calcutta, Delhi and Madras, covering the same areas as the Bombay area, the Calcutta area, the Delhi area and the Madras area respectively as defined in rule 2."

5. After rule 54 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"54A. *Fund of the Tariff Advisory Committee and custody of its moneys.*— (1) The Tariff Advisory Committee shall have its own fund and all receipts of the Committee shall be carried thereto and all payments by the Committee shall be made therefrom.

(2) Subject to any regulations that may be made in this behalf, all moneys belonging to the Tariff Advisory Committee which are not immediately required by the Committee for any purpose shall be deposited with the State Bank of India.

54B. *Accounts, audit and annual report of the Tariff Advisory Committee.*— (1) The Tariff Advisory Committee shall cause regular accounts to be kept of all its moneys and properties in respect of the affairs of the Committee in such form as may be determined by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The annual accounts of the Committee shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or by any person authorised by him in this behalf and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Committee to the Comptroller and Auditor-General.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Committee shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of Government accounts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

(4) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf—

(a) shall communicate the results of the audit to the Committee which shall submit a copy of the audit report along with its observation to the Central Government; and

(b) shall forward a copy of the report direct to the Central Government.

(5) The Committee shall, as soon as may be after the end of each calendar year, prepare and submit to the Central Government a report giving an account of its activities during the previous calendar year.".

(6) After rule 56 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"56A. *Additional technical qualifications for Surveyors and Loss Assessors.*— The following shall be the technical qualifications for purposes of item (f) of sub-clause (i) of clause (D) of sub-section (1) of section 64 UM of the Act, namely:—

(a) Fellowship held on the 26th October, 1968 or Fellowship or Associationship by examination subsequently acquired of the Institute of Insurance Surveyors and Adjusters, Bombay.

(b) Fellowship or Associateship of the Royal Institute of British Architects, London.

(c) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(d) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants of Scotland.

(e) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(f) Fellowship or Associate membership of the Institute of Cost and Works Accountants in the United Kingdom.

(g) A degree or diploma of a recognised Institute of Engineering secured after attending full time course and by passing the examination of such Institute.

(h) A certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognised authority.

(i) A degree or diploma in Naval Architecture of a recognised University or Institute.".

(7) In rule 59 of the said rules,

(1) in clause (a), for the figures and word "30 days", the figures and word "90 days" shall be substituted;

(2) in cause (b),—

(i) in the marginal heading, for the words "Sickness Insurance Scheme", the words "Sickness Insurance, Group Personal Accident Insurance, Medical Benefits Insurance and Hospitalisation Insurance Schemes" shall be substituted; and

(ii) for the words "on or before the date of", the words "within fifteen days from the date of" shall be substituted;

(3) for clause (c), the following clause shall be substituted namely:—

"(c) *Fidelity Guarantee Insurance.*—Fidelity Guarantee Insurance policies covering Government and semi-Government employees may be issued without receipt of premium in advance if the policy is not in renewal of an existing policy and subject to the condition that the premium is paid within thirty days from the date of appointment of the person covered by the policy.";

(4) for clauses (g) and (h) the following clauses shall be substituted, namely:—

"(g) *Annual Insurances connected with aircraft hulls and other aviation risks and connected with marine hulls.*—Facilities for delayed payment of premium or the payment of premium by means of instalments not exceeding four in number may be allowed at the discretion of the insurer on policies covering the following risks, namely:—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

Provided that a clause to that effect is endorsed on the policy.

(h) *Short period covers in respect of Insurance connected with aircraft hulls and other aviation risks and marine hulls.*—Short period covers may be granted on a held covered basis on the following risks, namely:—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

Subject to the condition that the premium or additional premium in respect of risks assumed in a calendar month shall be paid by end of the next calendar month.";

(5) in clause (i), for the words "for long term", wherever they occur, including the marginal heading, the words "for a period of more than one year" shall be substituted;

(6) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:—

"(m) *Policies of reinsurance.*—(i) Risk may be assumed without payment of premium in advance on insurances accepted under automatic reinsurance contracts.

(ii) In the case of faculative reinsurances accepted, risk may be assumed without payment of premium in advance if the ceding insurer has given an undertaking to pay his share of the premium, instalment of premium, premium subject to delayed payment or, where a deposit premium or provisional premium was paid on the original policy, the adjusted premium, or, in the case of premiums subject to delayed payment, the delayed premium, as the case may be, before the end of the calendar month succeeding the month in which the premium is due under the original policy.".

8. In Form XVIII-AF of the Forms appended to the said rules, in the entries below paragraph 4, in entry 3, for item (e) including the N.B. below that item, the following shall be substituted, namely:—

"(e) hold a diploma in insurance granted or recognised by the Government, or

(f) possess any of the technical qualifications mentioned in rule 56A.

(*N.B.*—In the case of each of the partners/Directors claiming to come under item (a) above and not being eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration in the form given in the Annexure to this Form duly filled in and sworn before a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be forwarded with this Form and in the case of each of the partners/Directors claiming to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals).".

(g) In Form XVIII-AI of the Forms appended to the said rules, in the entries below paragraph 4,—

(i) in entry (5), after the words "If the answer is in the affirmative", the words, brackets, letters and figure "and the applicant is not eligible to come under any of the sub-items (a) to (e) in item 6 below" shall be inserted;

(ii) in entry (6),

(a) for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"Whether the applicant possesses any of the following qualifications; if so, give details and also enclose either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace. (Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals)";

(b) in item (d), the word "or" shall be inserted at the end;

(c) after item (d), the following item shall be inserted, namely:—

"(e) possesses any of the technical qualifications mentioned in rule 56.".

(10) In Form XVIII-BF of the forms appended to the said rules, in paragraph 6, for item (e) including the N.B. below that item the following shall be substituted namely:—

"(e) hold a diploma in insurance granted or recognised by the Government; or

(f) possess any of the technical qualifications mentioned in rule 56A;

(N.B.—In the case of each of the partners/Directors who was not a partner/Director on the date of last application for licence—

(i) where he claims to come under item (a) above and is not eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration in the form given in the Annexure to this Form duly filled in and sworn before a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be forwarded with this Form and

(ii) where he claims to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate Notary Public or Justice of the Peace should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after persual, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals).".

[No. F. 51(25)-Ins.I/70.]

A. RAJAGOPALAN,

Officer on Special Duty and *Ex-Officio*

Additional Secretary to the Government of India.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

का० आ० 4096.—बीमा नियम, 1939 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 27 फरवरी 1971 को या उसके बाद विचार किया जायेगा ।

2. इस प्रारूप के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किन्हीं व्यक्तियों से उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम बीमा (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. बीमा नियम, 1939 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 17 च क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"17 च ख प्रबन्धकीय के उचित अंश की संगणना :

अधिनियम की धारा 40 ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए प्रबंधकीय खर्चों का उचित अंश, जिसे भारत में प्रबंध के खर्चों के संगणन में अपवर्जित किया जा सकता है, निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उस बीमाकर्त्ता की दशा में जिसके कारबार का प्रमुख स्थान भारत में हो, बीमाकर्त्ता (किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा

प्राप्त कुल पारिश्रमिक का वही अनुपात जो बीमाकर्त्ता को समादत्त पूंजी के 15% भारत में बीमाकर्त्ता द्वारा प्रत्यक्ष लिखित कुल सकल प्रीमियम का अनुपात है ;

(ख) उस बीमाकर्त्ता की दशा में, जिसके कारबार का प्रमख स्थान भारत के बाहर हो, शून्य ।"

3. उक्त नियम के नियम 41 में, उपनियम (1) के आरंभिक पैरा में, "54" अंकों के स्थान पर "54 ख" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त अधिनियम के नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"51 क. प्रादेशिक समितियों के प्रदेश :— अधिनियम की धारा 64 प अ की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए चार प्रदेश होंगे—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के लिए एक-एक और इनके अन्तर्गत वही प्रदेश होंगे जो नियम 2 में यथा परिभाषित क्रमशः बम्बई प्रदेश, कलकत्ता प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और मद्रास प्रदेश हैं ।"

5. उक्त नियम के नियम 54 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"54 क. टैरिफ सलाहकार समिति की निधि और उस के धन की अभिरक्षा :—(1) टैरिफ सलाहकार समिति को अपनी स्वयं की निधि होगी और समिति की सभी प्राप्तियां उसमें डाली जाएंगी और समिति के सब संदाय उसी में से किये जाएंगे ।

(2) ऐसे किन्हीं विनियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाये जाएं, टैरिफ सलाहकार समिति के पूरे धन जो समिति द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं हैं, भारतीय स्टेट बैंक में निक्षिप्त कर दिये जाएंगें ।"

54 ख. टैरिफ सलाहकार समिति के लेखे संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट :—

(1) टैरिफ सलाहकार समिति, समिति के कार्यों के संबंध में अपने पूरे धन और सम्पत्तियों का नियमित लेखा ऐसे प्ररूप में, रखवाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से अवधारित किया जाए ।

(2) समिति के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षित किये जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय समिति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तथा समिति के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध बाउचरों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज और कागज के पेश किये जाने की मांग करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति——

(क) समिति को संपरीक्षा के परिणाम संसूचित करेगा जो अपने संप्रेक्षण सहित संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा; और

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सीधे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(5) हर कलेण्डर वर्ष के अंत के पश्चात् समिति यथाशक्य शीघ्र, पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान के अपने कार्यकलापों का लेखा देते हुए एक रिपोर्ट तयार करेगी और केन्द्रीय सरकार को पेश करेगी ।

(6) उक्त नियम के नियम 56 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"56 क. सर्वेक्षकों और हानि अभिकरों के लिए अतिरिक्त तकनीकी अर्हताएं:—अधिनियम की धारा 64 पद की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (i) के मद (च) के प्रयोजनों के लिए तकनीकी अर्हताएं निम्नलिखित होंगी——

(क) 26 अक्टूबर 1968 का धारित फैलोशिप या परीक्षा द्वारा इंस्टीट्यूट आफ सर्वेयर्स एंड एडजस्टर्स, बम्बई से पश्चात्वर्ती अर्जित फैलोशिप या एसोशियेटशिप ।

(ख) रायल इंस्टीट्यूट आफ ब्रिटिश आर्कीटैक्टस, लन्दन की फैलोशिप या एसोशियेटशिप ।

(ग) इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फलोशिप या सहयुक्त सदस्यता ।

(घ) स्काटलैंड के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फैलोशिप या सहयुक्त सदस्यता ।

(ङ) आयरलैंड के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की फैलोशिप या सहयुक्त सदस्यता।

(च) यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्कस एकाउन्टेन्टस की फैलोशिप या सहयुक्त सदस्यता ।

(छ) इन्जीनियरों के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् और उसको परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राप्त की गई कोई उपाधि या डिलोमा ।

(ज) पोत के मास्टर के रूप में या समुद्री इंजीनियर के रूप में मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया क्षमता का प्रमाणपत्र ।

(झ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नौसनिक वास्तुकला में उपाधि या डिप्लोमा ।"

(7) उक्त नियमों के नियम 59 में,

(1) खंड (क) में "30 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "90 दिन" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे';

(2) खंड (ख) में,—

() हाशिया शीर्षक में, "बीमारी बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "बीमारी बीमा, समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, चिकित्सा प्रसुविधा बीमा और चिकित्सालयीयन बीमा स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

"की तारीख को या उसके पूर्व शब्दों" के स्थान पर "की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(3) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) **विश्वस्तता प्रत्याभूति बीमा**:—विश्वस्तता प्रत्याभूति की बीमा पॉलिसी, जिसके अन्तर्गत सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारी आते हैं, अग्रिम में प्रीमियम की प्राप्ति के बिना जारी की जा सकेगी यदि पॉलिसी किसी विद्यमान पॉलिसी के नवीकरण में नहीं है और इस शर्त के अध्यधीन कि पॉलिसी के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति की नियक्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रीमियम संदत्त कर दिया जाता है ।"

(4) खंड (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(छ) **वायुयान खोखू और अन्य विमानन जोखिमों से सम्बन्धित और समुद्री खोखू से सम्बन्धित वार्षिक बीमा** —

प्रीमियम के विनम्बित संदाय या किस्तों द्वारा प्रीमियम के संदाय जो संख्या में चार से अनधिक हो सकती है, की सुविधाएं बीमाकर्त्ता के विवेकानुसार निम्नलिखित जोखिमों को समाविष्ट करते हुए अनुज्ञात की जा सकती हैं, अर्थात् :—

(I) वायुयान खोखू,

(II) समुद्री खोखू,

(III) यात्रियों के विरुद्ध दायित्व,

(IV) यात्रियों का स्वतः वैयक्तिक दुर्घटना बीमा,

(V) विमानन जोखिम से संबंधित आनुषंगिक सुरक्षा के अधिशय में दायित्व की सुरक्षा करने वाली क्लबकंट्रोलिसियां,

(VI) वायु यात्रियों और वायुयान खोखू का युद्ध जोखिम बीमा, परन्तु यह तब जब कि इस आशय का खंड पालिसी पर पृष्ठांकित हो ।

(ज) वायुयान खोखू और अन्य विमानन जोखिम और समुद्री खोखू से सम्बन्धित बीमा की बाबत अल्पकालिक सुरक्षा :—

अल्पकालिक सुरक्षा निम्नलिखित जोखिमों पर धारित सुरक्षित आधार पर मंजूर की जा सकेगी, अर्थात् :—

(I) वायुयान खोखू,

(II) समुद्री खोखू,

(III) यात्रियों के विधिक दायित्व,

(IV) यात्रियों का स्वतः वैयक्तिक दुर्घटना बीमा,

(V) विभाजन जोखिम से संबंधित आधारिक सुरक्षा से अधिक्य में दायित्व की सुरक्षा करने वाली ब्लैंकेट पालिसियां,

(VI) वायु यात्रियों और वायुयान खोखे का युद्ध जोखिम बीमा, परन्तु यह तब जब कि शर्तें के अध्यधीन कि कलेण्डर मास में उपधारित जोखिमों की बाबत प्रीमियम या अतिरिक्त प्रीमियम आगामी कलेण्डर मास के अन्त तक संदत्त कर दिया जाएगा।";]

(5) खंड (i) में "दीर्घकालिक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हों, जिसमें हाशिया शीर्षक भी सम्मिलित है, "एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(6) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(ङ) पुनर्बीमा की बाध्यताएं—(i) स्वतः पुनर्बीमा संविदाओं के अन्तर्गत स्वीकृत बीमाओं पर जोखिम प्रीमियम के अग्रिम संदाय के बिना उपधारित की जा सकती हैं।

(ii) स्वीकृत वैकल्पिक पुनर्बीमाओं की दशा में जोखिम प्रीमियम के अग्रिम संदाय के बिना उपधारित की जा सकती है यदि उस मास के उत्तरवर्ती कलेण्डर मास के अन्त से पूर्व जिसमें प्रीमियम मूल पालिसी के अधीन देय है, सुपुर्द करने वाले बीमाकर्ता ने प्रीमियम का आधा भाग, प्रीमियम की किश्त, विलम्बित संदाय के अध्यधीन प्रीमियम या, जहां मूल पालिसी पर निक्षेप प्रीमियम या अन्तिम प्रीमियम संदत्त किया गया था वहां यथास्थिति समायोजित प्रीमियम या विलम्बित संदाय के अध्यधीन प्रीमियमों की दशा में विलम्बित प्रीमियम संदत्त करने का वचन दिया है।"

8. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूपों के प्ररूप 18 ए० एफ० में पैरा 4 के नीचे की प्रविष्टियों में, प्रविष्टि 3 में मद (ङ०) के स्थान पर जिसमें उस मद के नीचे की टिप्पणी सम्मिलित है, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ०) सरकार द्वारा मंजूर या मान्यताप्राप्त बीमा में डिप्लोमा रखते हों,

(च) नियम 56 क में वर्णित तकनीकी अर्हताओं में से को[illegible] रखते हों।

(ध्यान दीजिए—उपरोक्त मद (क) के अन्तर्गत आने का दावा करने वाले और जो उपरोक्त (ख) से (च) तक की मदों के में से किसी के अन्तर्गत आने के पात्र न होने वाले भागीदारों निदेशकों में से हरेक की दशा में इस प्ररूप के उपाबंध में दिये गये प्ररूप में सम्यक्तः भरी हुई और किसी मजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष शपथ ग्रहण की गई कोई घोषणा इस प्ररूप के साथ भेजी जानी चाहिए और उपरोक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का दावा करने वाले भागीदारों निदेशकों में से किसी की दशा में, किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी

पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यकत : सत्यापित या तो हरेक की एक एक सत्यापित प्रति सहित मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या मूल डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की जानी चाहिए । जहां मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं वहां वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जाएंगे किन्तु ऐसे मूलों की हानि या नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

9. उक्त नियम से संलग्न प्ररूपों के प्ररूप xviii–क I में पैरा 4 के नीचे की प्रविष्टियों में—

(i) प्रविष्टि (5) में, "यदि उत्तर सकारात्मक है" शब्दों के पश्चात् "और आवेदक नीचे की मद 6 को (क) से (ङ०) तक की उपमदों में से किसी के अधीन आने का पात्र नहीं है" शब्द, कौष्ठक, अक्षर और अंक अन्त :—स्थापित किये जाएंगे ;

(ii) प्रविष्टि (6) में,

(क) आरम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

क्या आवेदक के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई है, यदि ऐसा है तो सविस्तार लिखिये और या तो किसी मजिस्ट्रेट, नौटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यकत : सत्यापित हरेक की एक एक प्रति सहित मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी संलग्न करिये ।

जहां मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं, वहां, वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जाएंगे किन्तु ऐसे मदों की हानि या नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है ;

(ख) मद (घ) में, 'या' शब्द अन्त में अन्त : स्थापित किया जाएगा ;

(ग) मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त : स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ङ०) नियम 56 क में वर्णित तकनीकी अर्हताओं में से कोई रखता हो ।"

10. उक्त नियम से संलग्न प्ररूपों प्ररूप XVIII ख च में, पैरा 6 में मद (ङ०) के स्थान पर जिसमें उस मद के नीचे का ध्यान दीजिए भी शामिल हैं, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(ङ०) सरकार द्वारा मंजूर या मान्यताप्राप्त बीमा में डिप्लोमा रखते हों, या

(च) 5 नियम 56 क में वर्णित तकनीकी अर्हताओं में से कोई रखते हों

(ध्यान दीजिए—भागीदारों/निदेशकों में से हरेक की दशा में जो अनुज्ञप्ति के अन्तिम आवेदन की तारीख को भागीदार/निदेशक नहीं था—

(i) जहां वह उपरोक्त मद (क) के अधीन आने का दावा करता है और उपरोक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का पात्र नहीं है, वहां, इस प्ररूप के उपाबंध में दिये गये प्ररूप में सम्यकत : भरी हुई और किसी मजिस्ट्रेट, नाटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष शपथ ग्रहण की गई कोई घोषणा इस प्ररूप के साथ भेजी जानी चाहिए और

(ii) जहां वह उपरोक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का दावा करता है, वहां किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यकतः सत्यापित दो तौ हरेक को एक-एक सत्यापित प्रति सहित मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, या मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए । जहां मूल डिप्लोमा/प्रमाण पत्र भेजे जाते है वहां वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जाएंगे, किन्तु ऐसे मूलों की हानि या नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।"

[फ० सं० 51(25)--बीमा-1/70]

ए० राजगोपालन,

विशेष कार्य अधिकारी और पदेन अतिरिक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970